

उनवान

1. शान्तीदेवी पत्नि रामेश्वर लाल माली नि० अमरपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)  
----- ( प्रार्थी )

बनाम

1. मेधी पुत्री मांगीलाल रेबारी नि० अमरपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)  
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

----- ( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 15.12.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 04.10.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अमरपुरा पटवार मण्डल बबराणा भू०अ०नि० महुआखुर्द तहसील बनेडा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 59 के आ०न० 1618/461 रकबा 01-00 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को बजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। इस प्रकार विपक्षी गण की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अमरपुरा, पटवार मण्डल बबराणा भू०अ०नि० निरीक्षक महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 59 के आराजी संख्या 1618/461 रकबा 01-00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(रामचन्द्र मीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा, जिला भीलवाड़ा